परीक्षा समिति की सामान्य बैठक दिनांक 04 फरवरी,2020 अपराह्न 4.00 बजे की कार्यवाही

आज दिनांक 04.02.2020, दिन मंगलवार को अपराह्न 4:00 बजे सेण्टर फॉर एकेडिमिक्स भवन स्थित कार्यपरिषद कक्ष में परीक्षा समिति की बैठक सम्पन्न हुई, बैठक में निम्नांकित उपस्थित रहे :–

1.	प्रो0 नीलिमा गुप्ता, कुलपति, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर।	अध्यक्ष
2.	डा0 आरती लाल चन्दानी, डीन, चिकित्सा संकाय, जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज, कानपुर।	सदस्य
3.	डॉ0 रिपुदमन सिंह, प्राचार्य, पंजायत राज राजकीय महिला महाविद्यालय, इटावा	सदस्य
4.	प्रो0 एस0सी0 अग्रवाल, आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय,, कानपुर।	सदस्य
5.	प्रो0 नन्द लाल, आचार्य, जीवन विज्ञान विभाग, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सदस्य
6.	डा0 संदीप कुमार सिंह, सह–आचार्य,प्रौढ एवं सतत् शिक्षा विभाग, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सदस्य
7.	डा0 उपमा श्रीवास्तव, प्रौढ़ एवं सतत् शिक्षा विभाग, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सदस्य
8	डा0 गायत्री सिंह, प्राचार्या, अर्मापुर पी0 जी0 कालेज, कानपुर	सदस्य
9.	डॉ0 बी0डी0 पाण्डेय, अध्यक्ष, कानपुर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन।	सदस्य
10.	डा. अवधेश सिंह, महामंत्री, कानपुर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन।	सदस्य
11.	श्री धीरेन्द्र कुमार तिवारी, वित अधिकारी, सी.एस.जे.एम. वि.वि., कानपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य
12.	श्री एस.एल. पाल, उपकुलसचिव (परीक्षा), सी.एस.जे.एम. वि.वि., कानपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य
13.	डॉ0 अनिल कुमार यादव, परीक्षा नियंत्रक, सी.एस.जे.एम. वि.वि., कानपुर।	सचिव

सचिव द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए अध्यक्ष महोदया की अनुमति से परीक्षा समिति की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। सचिव द्वारा दो नये सदस्यों डा0 उपमा श्रीवास्तव,सी.एस.जे.एम.विश्वविद्यालय कानपुर एवं डा0 गायत्री सिंह, प्राचार्या, अर्मापुर पी.जी. कालेज, कानपुर को परीक्षा समिति का सदस्य नामित होने पर बधाई देते हुए उनका स्वागत किया। तदोपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुयी।

बिन्दु सं0 :1– परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 03–01–2020 की कार्यवाही के सम्पुष्टिकरण पर विचार।

निर्णय :– परीक्षा समिति द्वारा दिनांक 03–01–2020 को सम्पन्न हुयी बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि की गयी।

बिन्दु सं0 : 2– विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा–2020 के संम्बन्ध में।

(1) मुख्य परीक्षा–2020 हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश सं0 01/2020/17/सत्तर–1–2020–16(9)/2018 दिनांक 03 जनवरी 2020 को अंगीकृत किये जाने पर विचार।

निर्णय :– सचिव द्वारा समिति के समक्ष उ0प्र0शासन द्वारा परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश दिनांक 03 जनवरी, 2020 को अंगीकृत किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया, जिस पर समिति के सदस्यों उक्त शासनादेश को अंगीकृत करते हुए उक्तानुसार परीक्षाएँ सम्पन्न कराये जाने पर सहमति प्रदान की।

क्रमशः पृष्ठ

4-02-2020

4/2/2020

Scanned with CamScanner

(2) विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा–2020 की तैयारियों के सम्बन्ध में विचार –

निर्णय – सचिव द्वारा परीक्षा समिति को अवगत कराया गया कि वर्ष 2020 की मुख्य परीक्षाएँ दिनांक 25 फरवरी,2020 से प्रारम्भ होकर 16 अप्रैल, 2020 तक सभी परीक्षाएँ सम्पन्न हो जायेंगी। मुख्य रूप से **बी0ए0 पाठ्यक्रम** के परीक्षार्थियों की परीक्षा दिनांक 25–02–2020 से प्रारम्भ होकर दिनांक 16–04–2020 तक,**बी.एस.सी. पाठ्यक्रम** के परीक्षार्थियों की परीक्षा दिनांक 12–03–2020 से प्रारम्भ होकर दिनांक 13–04–2020 तक, **बी0काम0 पाठ्यक्रम** के परीक्षार्थियों की परीक्षा दिनांक 16–03–2020 से प्रारम्भ होकर दिनांक 27–03–2020 तक, **एम0ए0 पूर्वार्द्ध एवं उत्तरार्द्ध पाठ्यक्रम** के परीक्षार्थियों की परीक्षा दिनांक 30–03–2020 से प्रारम्भ होकर दिनांक 15–04–2020 तक तथा **एम0एस0सी0 पूर्वार्द्ध एवं उत्तरार्द्ध पाठ्यक्रम** के परीक्षार्थियों की परीक्षा दिनांक 02–03–2020 से प्रारम्भ होकर दिनांक 31–03–2020 तक सम्पन्न होंगी। तद्नुसार परीक्षा समिति द्वारा मुख्य परीक्षा कार्यक्रम 2020 पर सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गयी।

सचिव द्वारा परीक्षा समिति को अवगत कराया गया कि परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण के सम्बन्ध में उ0प्र0शासन द्वारा 03 जनवरी, 2020 जो निर्गत शासनादेश के अनुपालन सभी सम्बद्ध महाविद्यालयों को दिनांक 09 जनवरी,2020 को पत्र प्रेषित किया गया था, जिसके अनुक्रम में अधिकांश महाविद्यालयों द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध करायी गयी है।

सचिव द्वारा समिति को यह भी अवगत कराया गया कि सत्र 2019–20 में विश्वविद्यालय की संस्थागत एवं भूतपूर्व परीक्षा में लगभग 6 लाख 41 हजार परीक्षार्थी तथा व्यक्तिगत परीक्षा में लगभग 42 हजार व्यक्तिग़त परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं। नोडल केन्द्र/परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण प्रक्रियाधीन है तथा शासनादेश में वर्णित प्राविधानों के अनुसार इस वर्ष भी छात्राओं का परीक्षा केन्द्र स्वकेन्द्र रखे जाने की व्यवस्था की गयी है। तद्नुक्रम में उपलब्ध छात्र संख्या के आधार पर पूर्व वर्ष की भॉति वर्ष 2020 की मुख्य परीक्षा हेतु 125 छात्राओं पर महाविद्यालय को स्वकेन्द्र बनाये जाने का प्रस्ताव परीक्षा समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया, जिस पर सम्यक विचारोपरान्त परीक्षा समिति ने विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में 125 छात्राओं पर महाविद्यालय को स्वकेन्द्र बनाये जाने तथा स्वकेन्द्र न बन पाने की स्थिति में निकटम महाविद्यालय में परीक्षा केन्द्र बनाये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया तथा छात्रों का परीक्षा केन्द्र पूर्व की भॉति निकट के महाविद्यालयों में बनाये जाने का भी निर्णय लिया गया।

<u>बिन्दु सं0</u> : 3– अन्य विषय अध्यक्ष महोदया की अनुमति से, में निम्न प्रकरण परीक्षा समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किये गये–

(क) मेजर एस0डी0 सिंह मेडिकल कालेज, फर्रूखाबाद के चार छात्रों के एम0बी0बी0एस0 फाइनल पार्ट–2 परीक्षा फरवरी, 2019 में नकल में दोषसिद्ध पाये जाने पर सम्पूर्ण परीक्षा निरस्त होने के उपरान्त

कमशः पृष्ठ ...3....

04-2-2020

Scanned with CamScanner

पुर्नपरीक्षा का निर्गत परीक्षाफल पूरक अभ्यर्थियों के साथ न घोषित करके मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थियों के रूप में Internal Assessment के अंक समाहित करते हुए घोषित किये जाने के सम्बन्ध में परीक्षा समिति द्वारा निर्णय लिए जाने पर विचार।

निर्णय :– प्राचार्य, मेजर एस0डी0 सिंह मेडिकल कालेज, फर्रूखाबाद ने अपने पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि एम.बी.बी.एस.फाइनल पार्ट–2 के छात्र श्री नरेश डागर, श्री हितो येपथो, श्री प्रशान्त, श्री इम्तियाज की मुख्य परीक्षा में माह फरवरी, 2019 में सम्मिलित हुए थे। उक्त परीक्षा में नकल दोषसिद्ध होने के कारण उनकी सम्पूर्ण परीक्षाएँ निरस्त कर दी गयी थीं तथा उन्हें आगामी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की गई। उक्त छात्रों ने सम्पूर्ण विषयों की परीक्षा दी थी, परन्तु पूरक परीक्षा में सम्मिलित होने के कारण इनका परीक्षाफल पूरक परीक्षा के परीक्षार्थी के रूप में घोषित हुआ।

सचिव द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि मेडिकल परीक्षाओं के छात्रों को अपनी सभी मुख्य एवं पूरक परीक्षाओं की अंकतालिकाएँ प्रस्तुत करनी होती है। अतएव मुख्य परीक्षा निरस्त होने के बाद पुनः मुख्य परीक्षा के परीक्षार्थी के रूप में ही परीक्षा में सम्मिलित होगा, परन्तु उक्त परीक्षा का Internal Assessment जो छात्र के वर्षभर के कियाकलापों के आधार पर केवल एक बार ही किया जाता है, के अंक समाहित होने के उपरान्त ही पूर्ण माना जायेगा।

परीक्षा समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त छात्रहित में, उक्त छात्रों द्वारा पुनः दी गयी पूरक परीक्षा को मुख्य परीक्षा के रूप में मानते हुए तद्नुसार Internal Assessment के अंक उसमें समाहित कर छात्रों का परीक्षाफल घोषित किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

(ख)– शोधार्थी श्री यतेन्द्र सिंह कुशवाहा द्वारा दिनांक 14.11.2019 एवं 08.01.2020 को हिन्दी विषय के पी0एच0डी0 शोध प्रबन्ध जमा करने के सम्बन्ध में दिये गये प्रत्यावेदन पर परीक्षा समिति द्वारा निर्णय लिए जाने पर विचार–

निर्णयः–शोधार्थी श्री यतेन्द्र सिंह कुशवाहा द्वारा अपने आवेदन पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया है कि उन्हें हिन्दी विषय में पी0एच0डी0 का शोध ग्रन्थ जमा करने की अनुमति प्रदान की जाय। श्री यतेन्द्र सिंह कुशवाहा का पी0एच0डी0 पाठ्यक्रम में शोध छात्र के रूप में शोध उपाधि समिति की बैठक दिनांक 21–02–2007 में स्वीकृत हुआ था। तदोपरान्त शोधार्थी ने दिनांक 07–11–2012 को शोध कार्य में अधिक समय लगने के कारण शोध अवधि विस्तरण हेतु आवेदन विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया। जिस पर शोधार्थी को दिनांक 20.02.2013 तक समय विस्तरण प्रदान किया गया। शोध अध्यादेश के अनुसार, शोधार्थी को 21 फरवरी,2017 तक अपना शोध ग्रन्थ जमा कर देना चाहिए था, परन्तु शोधार्थी द्वारा समय–समय पर दिये गये आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया है कि विश्वविद्यालय द्वारा शोध समयावधि विस्तरण की कोई सूचना उसे नहीं दी गयी तथा समायावधि विस्तरण पत्र भी उसे दिनांक 13–08–2019 को प्रेषित किया गया, जिसके कारण शोधार्थी शोध ग्रन्थ विश्वविद्यालय

क्रमशः पृष्ठ ...4....

04.02.2020

4/2/2020

Scanned with CamScanner

में जमा नहीं कर पाया है। परीक्षा समिति द्वारा छात्रा के प्रकरण पर सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि श्री यतेन्द्र सिंह कुशवाहा, शोधार्थी पी0एच0डी0 पाठ्यक्रम(हिन्दी) के पूर्व पंजीकरण को निरस्त कर, निर्धारित शुल्क जमा करवाकर शोधार्थी का पी0एच0डी0 पाठ्यक्रम में पुनः पंजीकरण का अवसर प्रदान करते हुए अधिकतम 6 माह में शोध ग्रन्थ जमा किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किये जाने का निर्णय छात्रहित में सर्वसम्मति से लिया गया तथा उक्त प्रकरण को भविष्य में दृष्टान्त नहीं माना जायेगा। तदोपरान्त शेष कार्यवाही शोध अध्यादेश में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पादित की जाय।

बिन्दु सं0–4 परीक्षा समिति के सदस्य डा0 बी0डी0 पाण्डेय द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदया की अनुमति से उठाये गये अन्य बिन्दुओं पर विचार–

समिति के सदस्य डा0 बी0डी0 पाण्डेय ने अवगत कराया कि परीक्षा के समय विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रपत्रों यथा पी1, पी9 इत्यादि को भरने में काफी समय व्यतीत होता है तथा उनमें से कई प्रपत्रों की वर्तमान में प्रासंगिकता नही है, जिस पर सचिव द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा उक्त प्रपत्रों में वर्तमान समयानुसार संशोधन किये जाने हेतु समिति का गठन पूर्व में किया जा चुका है तथा पूर्व वर्षों के उक्त प्रपत्र अभी उपलब्ध होने के कारण उक्त प्रपत्रों पर ही वर्ष 2020 की मुख्य परीक्षा में परीक्षा कार्यों का सम्पादन किया जायेगा। नये प्रपत्रों के अनुसार परीक्षा कार्यों का निष्पादन अगले शैक्षणिक सत्र से किये जाने हेतु कानपुर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोशिएसन के अध्यक्ष एवं महामंत्री को शामिल करते हुए एक समिति का गठन किया जाय। तद्नुसार समिति की आख्या के उपरान्त परीक्षा कार्यों से सम्बन्धित संशोधित प्रपत्रों को अगले शैक्षणिक सत्र से लागू किया जाने का निर्णय सर्वसम्मति से परीक्षा समिति द्वारा लिया गया।

समिति के सदस्य डा0 बी0डी0 पाण्डेय ने पुनः समिति को अवगत कराया कि प्रायोगिक परीक्षाओं में परीक्षकों के नाम सम्बन्धित महाविद्यालयों के कालेज लॉगिन पर प्रेषित किये जाने के कारण कई बार शिक्षकों को नामित होने की जानकारी नहीं हो पाती है, जिससे शिक्षकों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है तथा शिक्षकों को उनके ई–मेल अथवा मोबाइल पर परीक्षक नामित किये जाने की सूचना प्रेषित की जाय। उक्त प्रकरण पर सचिव द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि शिक्षकों की संख्या काफी होने के कारण इस वर्ष पूर्व प्रचलित व्यवस्था में परिवर्तन किया जाना सम्भव नहीं है तथा भविष्य के लिये परीक्षा समिति द्वारा उक्त सुझाव को स्वीकार करते हुए सिस्टम मैनेजर, कम्प्यूटर केन्द्र से उक्त व्यवस्था को लागू किये जाने हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर लिंक दिये जाने की उपलब्धता के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण प्राप्त कर लिया जाय। तद्नुसार परीक्षा समिति की आगामी बैठक में इस पर निर्णय लिया जायेगा।

डा0 बी0डी0 पाण्डेय ने समिति को यह भी अवगत कराया कि परीक्षा पारिश्रमिक की नयी दरें मार्च, 2019 में लागू हो गयी थीं, परन्तु विश्वविद्यालय द्वारा अभी भी पुराने परीक्षा पारिश्रमिक दरों के आधार पर महाविद्यालयों का भुगतान किया जा रहा है तथा भुगतान में

क्रमशः पृष्ठ ...5....

04-02-2020

4/2/2020

Scanned with CamScanner

यह उल्लिखित नहीं होता है कि यह किस परीक्षा अथवा मद का भुगतान किया गया है। उक्त प्रकरण पर समिति में उपस्थित वित्त अधिकारी महोदय ने समिति को अवगत कराया कि परीक्षा नियंत्रक अगर नई दरों के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं तो उसे अगली वित समिति की बैठक में रखा जायेगा तथा अनुमोदनोपरान्त परीक्षा पारिश्रमिक की नई दरों के आधार पर भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

अन्त में मा0 कुलपति जी द्वारा सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक सम्पन्न हुई।

04.02.2020
डॉ0(अनिल कुमार यादव)
परीक्षा नियंत्रक/सचिव, परीक्षा समिति

4/2/2020
प्रो0(नीलिमा गुप्ता)
कुलपति/अध्यक्ष

Scanned with CamScanner